राजस्थान सरकार
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

क्रमांक. एफ 8(6)/एफडी/एसपीएफसी/परिपत्र/2023 दिनांक 15/7/25

परिपत्र

ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर बोलीदाताओ द्वारा ई–निविदाओं के प्रेषण के लिए बिड सिक्योरिटी राशि राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 के उप–नियम (6) में वर्णित माध्यमों यथा– नकद या बैंकर चैक या मांगदेय ड्रॉफ्ट या बैंक गारंटी या ई–बैंक गारंटी या ई–ग्रास या इन्सूरेंस श्योरिटी बॉन्ड में से किसी भी माध्यम से जमा करायी जा सकती है। किन्तु ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई. निविदाओं के प्रेषण के लिए बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL फीस ऑनलाईन ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा कराया जाना आवश्यक हैं।

उपापन संस्थाओं (Procuring Entities) द्वारा उपापन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भी असफल घोषित बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय विलम्ब से किया जा रहा है। इसी प्रकार जिन प्रकरणों में कार्य/सप्लाई बोली शर्तों के अनुसार पूर्ण हो चुके है एवं बोलीदाता द्वारा जमा करायी गयी कार्य संपादन प्रतिभूति राशि रोकी गयी है, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय विलम्ब से किया जा रहा है, जिसके कारण असफल बोलीदाताओ एवं सफल संवेदको को अनावश्यक रुप से आर्थिक कठिनाई का सामना करना पडता है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 (10) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि:–

"असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार (Agreement) के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात कर दिया जाएगा।"

अतः समस्त उपापन संस्थाओं का एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ किये जाने वाले उपापनों के संबंध में उपापन प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरंत पश्चात बिना किसी विलम्ब के असफल घोषित बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि प्रतिदाय करने की कार्यवाही सम्पादित करावे तथा जिन प्रकरणों में कार्य/सप्लाई बोली शर्तों के अनुसार पूर्ण हो चुके है एवं बोलीदाता द्वारा जमा करायी गयी कार्य संपादन प्रतिभूति राशि रोकी गयी है, में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि भी नियमानुसार तत्काल प्रभाव से लौटाया जाना सुनिश्चित करावे।

(मनीष माथुर)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव,राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण /राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव को उनके अधिनस्थ विभागों एवं उपक्रमों में लागू करवाने हेतु।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायलय,जोधपुर/जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान ,जयपुर।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
9. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
11. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, समस्त विभाग।
12. समस्त कोषाधिकारी।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान ,जयपुर।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
16. सिस्टम एनालिस्ट, इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
17. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी,
वित्त (एफआर–एसपीएफसी) विभाग